संख्या-44/2022/991जेएल/22-3-2022-100(56)/2012

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 जुलाई, 2022

विषय- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अनिल दुजाना पुत्र श्री चतर सिंह उर्फ चतरू को अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-24478/सामा-1(7)/गौ0नगर/अनिल दुजाना/2022, दिनांक 27-07-2022 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अनिल दुजाना पुत्र श्री चतर सिंह उर्फ चतरू को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार, अयोध्या में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 लखनऊ।
4- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर/ अयोध्या।
5- पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।
6- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या।
7- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर से जिला कारागार, अयोध्या में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।
8- अधीक्षक, जिला कारागार, अयोध्या ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in